



**पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु**

**पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका**

**2025**

**राज्य चुनाव आयोग, हिमाचल प्रदेश आम्सडेल,  
शिमला 171 002**

## Hkfedk

भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम निर्वाचन वर्ष 1995 में सम्पन्न करवाए गये थे। हमने कई बार सरकारी सेवक के रूप में मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्वाचन के संचालन में भाग लिया है। हम में से प्रत्येक ने कम से कम अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा और इस दौरान निर्वाचन प्रक्रिया का अवलोकन किया होगा। इसलिए आपको निर्वाचन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के रूप में सौंप गए कर्तव्यों का पालन में कठिनाई नहीं होगी।

आजकल कुछ अन्य राज्यों में निर्वाचन में धन शक्ति व बल-प्रयोग तथा निर्वाचन केन्द्रों पर कब्जे आदि के कारण मतदान अत्यधिक विवादास्पद हो गया है। हमारे राज्य को इस बात पर गर्व है कि यह अभी तक ऐसे सभी अनांचारों से मुक्त है किन्तु हम इस विषय में आँखें मूंद कर नहीं रह सकते।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में मेरा यह प्रयास होगा कि समस्त स्थानीय निकायों के निर्वाचन स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूप से हों। इस उद्देश्य की प्राप्ति केवल आपके यथासाध्य सहयोग से की जा सकेगी। यह कहना अनावश्यक होगा कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय आप सजग, सक्रिय तथा निष्पक्ष रहें और किसी भी व्यक्ति विशेष या पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे। यदि यह पाया जाता है या सूचना मिलती है कि निर्वाचन दल के किसी सदस्य ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही की है। या वह किसी व्यक्ति-विशेष अथवा पार्टी का पक्ष ले रहा तो इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

आगामी पैंरों में जो कि इस विषय के नियमों पर आधारित है, मैंने आपको आबंटित मतदान-केन्द्र पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से परिचित करवाने का प्रयास किया है।

मतदान-केन्द्रों पर अपने कर्तव्य का पालन करते समय सम्भवतः आपको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े। आपके अनुभवों के आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसी परिस्थितियों से चतुराई से निपटेंगे तथा प्रदेश में स्थानीय स्तरों पर स्वस्थ लोकतन्त्र बनाये रखने में सफल होंगे।

स्थान : शिमला  
दिनांक : नवम्बर, 2025

(अनिल कुमार खाची)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त,  
हिमाचल प्रदेश,।

## i hBkl hu vf/kdkfj ; ka ds fy, ekxZ funf' kdk

### 1+ i fjp;

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा उन द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 31 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकृत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आपको आबंटित मतदान केन्द्र/केन्द्रों पर निर्वाचन करवाने हेतु पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। मतदान केन्द्र पर निर्धारित विधि तथा प्रक्रिया अनुसार स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना आपका प्रथम कर्तव्य व उत्तरदायित्व है। मतदान केन्द्र पर कार्यवाही के नियन्त्रण हेतु आपको समस्त कानूनी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप नियमों के अन्तर्गत निर्धारित विधि व प्रक्रिया से अपने आपको पूर्णतः परिचित करवा लें।

### 2- fuokpu ny

पंचायती राज संस्थाओं हेतु आपके दल में एक पीठासीन अधिकारी, तीन मतदान अधिकारी और आवश्यकता अनुसार सुरक्षा कर्मी होंगे। यदि आपको अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र पर अनुपस्थित रहना पड़ता है तो रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी आपके निर्वाचन दल से एक मतदान अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों को निभाने हेतु प्राधिकृत करेंगे ज्यों ही आपको मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की सूचना प्राप्त होती है आपको उन से सम्पर्क स्थापित करना होगा। यदि किन्हीं कारणों से कोई मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र पर अनुपस्थित है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या कार्य करने से इन्कार कर देता है तो आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप किसी भी उपलब्ध सरकारी कर्मचारी/अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी को मतदान अधिकारी नियुक्त करके वैकल्पिक प्रबन्ध करें तथा वह व्यक्ति आप के समस्त विधि सम्मत आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। मतदान केन्द्र पर आपको अपने दल के प्रत्येक सदस्य को उस द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य से अवगत करवाना होगा। जब तक कार्य टीम भावना से नहीं होगा आपका पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य अत्यन्त कठिन को जाएगा।

### 3- fuokpu i okH; kl

आप अपने निर्वाचन दल के साथ उन सभी पूर्वाभ्यासों में भाग लेंगे जो इस उद्देश्य हेतु रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पर आयोजित किए जाएंगे। पूर्वाभ्यास में आपको मतदान केन्द्र पर निर्वाचन करवाने हेतु अपनाई जाने वाले प्रक्रिया से अवगत करवाया जाएगा। यदि आपने इससे पूर्व किसी निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य किया है तो भी आपको प्रशिक्षण/पूर्वाभ्यास में अवश्य भाग लेना चाहिए क्योंकि निर्वाचन विधि तथा प्रक्रिया समय-2 पर संशोधित होती रहती है। अतः यह आवश्यक है कि आप संशोधित प्रक्रिया अनुसार कार्य करें अन्यथा निर्वाचन प्रक्रिया नवीनतम प्रक्रिया तथा निर्देशों अनुसार सम्पन्न नहीं होगी। यदि विधि एवं प्रक्रिया में कोई परिवर्तन न भी हुआ हो तब भी अपनी स्मृतियों/अनुभवों में पुनर्वृद्धि करना प्रायः लाभदायक रहता है। आपको मतपेटी के साथ विभिन्न क्रियाएं स्वयं करनी होंगी तथा आपको मात्र इनका प्रदर्शन देखकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए।

मतपेटियों की यांत्रिकी क्रिया साधारण है और इसे एक या दो बार करके आपको मतदान केन्द्र पर किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। आप रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त समस्त मतपेटियों की जांच अच्छी तरह से करें कि मतपेटियों के लॉक सही रूप से कार्य कर रहे हैं।

#### 4- fuokpu | kexh

रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी आपको समय रहते मतदान केन्द्र पर प्रयोग होने वाली सामग्री जिसकी सूची i f j f ' k " V & I पर दी गई है को प्राप्त करने हेतु सूचना देंगे। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त सामग्री निर्धारित मात्रा के अनुसार आपको पूर्ण रूप से दे दी गई है। निर्वाचन सामग्री की कुछ वस्तुएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनकी अनुपलब्धता में आप सफलता से निर्वाचन नहीं करवा पाएंगे। अतः आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करने में विशेष ध्यान रखना होगा :-

1. अच्छी स्थिति में निर्दिष्ट संख्या में मतपेटियां।
2. ग्राम पंचायत के सदस्यों उप-प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों, के निर्वाचन के लिए वांछित संख्या में मत पत्र।
3. निर्वाचक नामावली की तीन प्रतियां।
4. मतदाता द्वारा मतपत्र को चिन्हित करने वाली रबर की मोहर।
5. सुभेदक चिन्ह मोहर।
6. पीठासीन अधिकारी की मोहर।
7. उम्मीदवारों की सूची।
8. नोटा चिन्ह मोहर।
9. समस्त प्रपत्र व अन्य सामग्री जो i f j f ' k " V & I में दी गई है।

#### 5- xeukxeu dk; Øe (Movement Programme)

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आपको (Movement Programme) गमनागमन कार्यक्रम दिया जायगा जिसके अन्तर्गत आपकी उप मण्डल/तहसील/उप-तहसील/खण्ड मुख्यालय जैसा भी निश्चित किया हो, से अपने मतदान केन्द्र के लिए जाना होगा। आपको गमनागमन कार्यक्रम के मार्ग स्थानों तथा समय के बारे में स्पष्ट पता होना चाहिए क्योंकि गमनागमन कार्यक्रम में किसी भी तरह का विलम्ब निर्वाचन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। अतः यह सुनिश्चित करें कि आप और आपका दल कार्यक्रम का अक्षरशः पालन करे मतदान केन्द्र पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपको कानून एवं व्यवस्था के साथ-साथ संकटपूर्ण तथा असंगत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। एक

पीठासीन अधिकारी के रूप के आपको इन परिस्थितियों से अपने दल के सदस्यों तथा मतदान केन्द्र पर नियुक्त पुलिस अधिकारी/गृह रक्षक की सहायता लेकर चतुराई से निपटना चाहिए किसी आकस्मिक परिस्थिति के उत्पन्न होने पर आपको किसी द्रुत साधन द्वारा तुरन्त अपने जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से सम्पर्क करना होगा।

## 6. ernku dlnz

प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो मतदान कक्ष बनाए जाएंगे। जिसमें से एक ग्राम पंचायत से सम्बन्धित मतपत्रों को अंकित करने के लिए होगा व दूसरा पंचायत समिति व जिला परिषद से सम्बन्धित मतपत्रों को अंकित करने के लिए होगा। अतः मतदान केन्द्र पर पहुंचते ही आप को मतदान कक्ष की स्थापना करनी होगी। आप अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ मतदान केन्द्र हेतु प्रस्तावित भवन/कक्ष को इस तरह व्यवस्थित करें कि मतदान केन्द्र से बाहर मतदाताओं को प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त स्थान हो और जहां तक सम्भव हो मतदान केन्द्र पर मतदाता के प्रवेश व बहिर्गमन के लिए अलग-अलग रास्ते हो। यदि मतदान केन्द्र के कमरों के लिए केवल एक ही दरवाजा हो तो रस्सी अथवा बांस की सहायता से प्रवेश व बहिर्गमन अलग-अलग किया जा सकता है। जहाँ तक आपके व मतदान अधिकारियों के बैठने तथा मतदान केन्द्र पर मतदान कक्ष/कक्षों की स्थापना का विषय है इसकी व्यवस्था आपको मतदान केन्द्र पर उपलब्ध फर्नीचर से ही करनी होगी। मतदान केन्द्र की स्थापना करते समय आपको अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ता को बैठने के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना है। मतदान केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि मतदाता के प्रवेश पर सबसे पहले वह पहचान व उंगली पर अमिट स्याही लगवाने के लिए प्रथम मतदान अधिकारी से मिले तत्पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी से ग्राम पंचायत के निर्वाचन हेतु तीन मतपत्र प्राप्त करे तथा पहले मतदान कक्ष में प्रवेश करें पंचायत सदस्य, उप-प्रधान तथा प्रधान के लिए मतदान कर मतदान कक्ष से बाहर आ कर मतपत्रों को ग्राम पंचायत के निर्वाचन हेतु द्वितीय मतदान अधिकारी के समक्ष रखी पहली मतपेटी में डाल दे। इसके पश्चात् वह तीसरे मतदान अधिकारी के पास जायेगा व तीसरा मतदान अधिकारी उसे पंचायत समिति व जिला परिषद से सम्बन्धित दो मतपत्र देगा। मतदाता पुनः दूसरे मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा तथा इन दोनों मतपत्रों पर अपनी पंसद के अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान कर कक्ष के बाहर तीसरे मतदान अधिकारी के समक्ष रखी दूसरी मतपेटी में दोनों मतपत्रों को डाल कर मतदान केन्द्र से बाहर प्रस्थान करेगा। मतदान अभिकर्ता इस प्रकार बैठे होने चाहिए कि मतदाता ज्यों ही मतदाता केन्द्र में प्रवेश करें वह उसकी पहचान कर सकें और यदि आवश्यक हो तो पहचान सम्बन्धी दावा भी कर सकें। मतदाता की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए अभिकर्ताओं को मतदान प्रक्रिया देखने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मतदान कक्ष को चारों तरफ से प्रदर्शित होने से बचाने के लिए इसकी व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि मतदाता का गमनागमन तो देखा जा सके परन्तु मतपत्र को चिन्हित करते हुए न देखा जा सके। पीठासीन अधिकारी व्यवस्था करेगें कि मतदान केन्द्र के अन्दर एक समय में कितने व्यक्तियों को मतदान केन्द्र की भीतर प्रवेश की अनुमति होगी तथा निम्न व्यक्तियों को उक्त गिनती से बाहर रखा जाएगा।

1. निर्वाचन अधिकारी।
2. निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक।

3. राज्य निर्वाचन आयोग/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति।
4. मतदान अभिकर्ता “नियमानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता” होगा।
5. मतदाता द्वारा गोद में लिया गया बच्चा।
6. वह व्यक्ति, जो किसी अन्धे या अक्षम व्यक्ति जो चलने की स्थिति में नहीं है के साथ आया हो।
7. अन्य कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताओं की पहचान करने हेतु नियुक्त किया गया हो।

## 7- I puk dk i xdk'ku

मतदान केन्द्र के अन्दर तथा बाहर निम्नलिखित सूचनाओं को विशिष्टता से प्रकाशित करें :-

- (क) क्षेत्र की सूचना जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र पर वोट डालने का अधिकार रखते हो।
- (ख) देवनागरी लिपि में अभ्यर्थियों की सूची। इस सूची में अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में होने चाहिए जिस क्रम में नियम 41 (i f j f' k"V&vi) के अन्तर्गत प्रकाशित सूची में हों।

## 8- ernku vfhkdrk/ dh fu; (Dr rFkk mi fLFkfr%

अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है जो अधिनियम के अन्तर्गत अभ्यर्थी या पंचायत का सदस्य बनने हेतु अयोग्य न हो। ऐसी नियुक्तियां प्रपत्र-26 (i f j f' k"V&vii) पर दोहरी प्रतिलिपि के रूप में की जाएगी। जिस पर अभ्यर्थी या उसकी निर्वाचन अभिकर्ता जैसी भी स्थिति हो के हस्ताक्षर होंगे। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। किसी भी मतदान अभिकर्ता का मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपना नियुक्ति पत्र दोहरी प्रतिलिपि में मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत न कर दे और उसमें सम्मिलित घोषणा को उसके समक्ष हस्ताक्षरित न कर दें। पीठासीन अधिकारी प्रस्तुत की गई दोहरी प्रतिलिपि को अपने अभिलेख हेतु रख लेंगे। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय मतदान शुरू होने से पहले या निर्वाचन के दौरान एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके परिवर्तित की जा सकती है। इस घोषणा पत्र की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। यदि मतदान अभिकर्ता की मृत्यु हो जाये तो अभ्यर्थी उसकी जगह दूसरे मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी को इसकी सूचना देने के उपरान्त कर सकता है।

## 9- i f r f u f / k ; k a ¼ i = d k j k ½ r f k k Q k \ / k s x k Q t l d k s l f o / k k , a

मतदान केन्द्र के बाहर खड़ी भीड़ या लाईन में खड़े मतदाताओं की फोटो लेने पर कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि कानून व्यवस्था व शान्ति बनी रहे । यद्यपि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो न तो मतदाता हो और जिसकी निर्वाचन करवाने में किसी सहायता की आवश्यकता भी न हो को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति का अधिकार केवल राज्य निर्वाचन आयोग/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/रिटर्निंग अधिकारी को होगा । ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राधिकारियों द्वारा जारी प्राधिकृत पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करने पर ही मतदान केन्द्र के भीतर जाने की अनुमति होगी और उसे फोटो लेने की अनुमति दी जा सकती है । परन्तु किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन कक्ष के अन्दर जाकर किसी मतदाता द्वारा मतपत्र को चिन्हित करते समय फोटो लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

## 10- e r i \ / h d h R k \ k j h

प्रत्येक मतदान केन्द्र पर आपका कर्तव्य होगा कि मतदान शुरू होने से ठीक पहले आप अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतदान अभिकर्ता जो भी उस केन्द्र पर उपस्थित हो को मतपेटी के निरीक्षण की अनुमति दें और उन्हें दिखाएं कि मतपेटी, खाली है। तत्पश्चात् उपलब्ध करवाई गई पेपर सील को निर्धारित स्थान पर इस प्रकार लगायें कि इसका मुद्रित भाग मतपेटी के छिद्र से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। केवल एक पेपर सील ही प्रयोग में लाई जाएगी। यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो तो पेपर सील पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करें तथा पेपर सील की कोरी सतह पर अपने हस्ताक्षर करें। पुष्टि कर लें कि पेपर सील किसी भी तरफ से खींचे जाने पर अपने स्थिति से बदली न जा सके । क्षतिग्रस्त पेपर सील प्रयोग में न लायें । क्योंकि पेपर सील 10 इंच लम्बी होगी अतः इसके दोनो किनारों को इस प्रकार तह करें कि यह मतपेटी के अन्दर लटकती न रहे अन्यथा यह मतपत्रों को अन्दर धकेलते समय फट सकती है। तत्पश्चात् मतपेटी को सुरक्षित रूप से मोहर लगा इस तरह बन्द कर दें कि उसमें मतपत्र डालने के लिए ऊपर से कटी हुई लम्बी पट्टी खुली रहे । लेबल मतपेटी के बाहर पूर्वाभ्यास के दौरान बताई गई विधि अनुसार चिपका दें। यदि किसी अतिरिक्त मतपेटी की आवश्यकता हो तो उपरोक्त विधि अनुसार मतपेटी को मतदान हेतु तैयार किया जाएगा। अतिरिक्त मतपेटी समय रहते तैयार कर ली जाए ताकि मतदान में कोई व्यवधान न पड़े ।

i s j l h y d k y s [ k k % पेपर सील का लेखा (i f j f ' k " V & v) के अनुसार रखा जाये।

## 11- e r n k u d k < x

प्रत्येक व्यक्ति को मतदान व्यक्तिगत रूप से करना होगा। मतदान प्रतिनिधि के रूप में नहीं होगा। निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जिसकी एक प्रति आपको भी दी गई है में मतदाता का नाम होना चाहिए । मतदान गुप्त रूप से चिन्हित प्रणाली द्वारा होगा ।

## 12- e r i = d h j p u k o j x

यह सुनिश्चित कर ले कि आपको सदस्य, उप-प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति तथा जिला परिषद, के सदस्यों के निर्वाचन हेतु दिए गए मतपत्र समय-समय पर अनुमोदित रचना व रंग के है। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतपत्रों के निम्नलिखित रंग निश्चित किए गए है।

1. सदस्य ग्राम पंचायत	सफेद
2. उप-प्रधान ग्राम पंचायत	पीला
3. प्रधान ग्राम पंचायत	हल्का हरा
4. सदस्य पंचायत समिति	गुलाबी
5. सदस्य जिला परिषद,	हल्का नीला

प्रत्येक पदाधिकारी के लिए आपको दिए गये मतपत्रों की क्रम संख्या व कुल संख्या को सावधानी से प्रमाणित कर लें ।

माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निर्देशानुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि मतपत्र के उपर "उपरोक्त में से कोई नहीं" (NOTA) का विकल्प भी उपलब्ध करवाया जाएगा । यह विकल्प उपलब्ध करवाने हेतु प्रत्येक मतपत्र के अन्तिम कोष्ठक में "उपरोक्त में से कोई नहीं" की मोहर लगायी जाएगी । अतः मतपत्र प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक मतपत्र पर उक्त मोहर लगाई गई है । यदि गलती से किसी मतपत्र पर "उपरोक्त में से कोई नहीं" की मोहर न लगी हो तो ऐसा मतपत्र मतदाता को जारी नहीं किया जाएगा तथा इसे रद्द कर दिया जाएगा तथा रद्द किए गए मतपत्रों को एक लिफाफे में मोहर बन्द कर दिया जाएगा तथा लिफाफे के उपर रद्द मतपत्र अंकित किया जाएगा ।

मतदान के समाप्त हो जाने पर आपको प्रत्येक प्रकार के मतपत्रों का लेखा प्रपत्र-29 (i j f' k"V&VIII) पर तैयार करना होगा। प्रत्येक कार्यलय के लिए आपको अलग प्रपत्र भरना होगा ।

### 13- eri = tkjh djus dh r\$ kjh

आपको मतपत्र 50-50 के बण्डल में प्रतिपर्ण (counterfoil) सहित मतदान केन्द्र पर आबंटित मतदाताओं की संख्या के बराबर निकटतम दहाई की संख्या में उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के नाम लिखकर तथा नोटा मोहर लगाकर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप प्रत्येक मतपत्र के पिछले भाग में अपने पूरे नाम में दिनांक सहित हस्ताक्षर करेंगे और उपलब्ध करवाए गए स्थान पर सुभेदक चिन्ह मोहर तथा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखेंगे। मतदाता को मतपत्र जारी करने से पहले कृपया इसे बार-बार प्रमाणित कर लें कि मतपत्र की पिछली तरफ सुभेदक चिन्ह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या तथा हस्ताक्षर हो गए हैं। मतदान शुरू होने से ठीक पहले उपरोक्त विधि अनुसार कम के कम 100 मतपत्र तैयार कर लें ताकि आप मतदान केन्द्र पर पहुंचे हुए मतदाताओं को तुरन्त निपटा सकें। शेष मतपत्रों को मतदान में तेजी आने पर अवश्यकतानुसार मोहर लगाई जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे।

मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर सबसे पहले उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली की इस उद्देश्य हेतु नियुक्त किए गए मतदान अधिकारी-एक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा कि उसकी उंगली पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है। यदि उसकी उंगली पर ऐसा कोई निशान नहीं है तो प्रभारी निर्वाचन अधिकारी मतदाता का नाम व पता तथा अन्य विवरण जो कि निर्वाचक नामावली में है बारे जांच करेंगा। निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर अधिकारी उसकी बाईं तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाएगा।

यदि किसी मतदाता की बाएं हाथ में तर्जनी उंगली न हो तो अमिट स्याही मध्यम उंगली पर लगाई जाएगी, यह उंगली भी न होने की स्थिति में अंगूठी पहनने वाली (ring finger) अनामिका उंगली इसकी अनुपस्थिति में सबसे छोटी उंगली व इसके भी न होने पर अंगूठे पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। यदि मतदाता के बांये हाथ में कोई भी उगली न हो तो दाहिने हाथ की उंगलियों पर इसी क्रम में अमिट स्याही का प्रयोग किया जाएगा। यदि मतदाता के दोनों हाथों में कोई भी उंगली न हो ता उसकी बाईं या दाईं भुजा, जैसी भी स्थिति हो के अग्र भाग पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।

मतदान अधिकारी मतदाता के नाम को जोर से पुकारेगा ताकि अभ्यर्थी या उसका मतदान अभिकर्ता उसके विवरण को सुन सके, यदि उसकी पहचान सम्बन्धी कोई दावा नहीं किया जाता है तो अमिट स्याही लगाने के उपरान्त वह मतदान अधिकारी-दो के पास जाएगा जो कि ग्राम पंचायत से सम्बन्धित मतपत्र जारी करेगा। मतदान अधिकारी किसी भी मामले में निर्वाचक नामावली पर दिए गए मतपत्र की क्रम संख्या नहीं लिखेगा। मतदान केन्द्र पर कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचक विशेष को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या नहीं लिखेगा।

अमिट स्याही की शीशी न गिरे और निर्वाचन के दौरान स्याही न फैले इसके लिए पर्याप्त सावधानी बरतें। किसी कप या चौड़े आधार वाले बर्तन में मिट्टी या रेत लेकर स्याही की शीशी को तीन चौथाई तक उस बर्तन में रखें ताकि यह रेत और मिट्टी में सीधी खड़ी रहे। यह भी सुनिश्चित करें कि कागज में लगी हुई प्लास्टिक की दण्डिका शीशी में ही सीधी खड़ी रहे तथा केवल निशान लगाने के लिए ही इसे अधोमुखी रूप में निकाले अन्यथा कुछ स्याही दण्डिका से नीचे प्रवाहित होती हुई स्याही को प्रयोग करने वाले व्यक्ति की उंगलियों को खराब कर सकती है।

मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के बाद तत्काल निम्न कार्य करेगा :

- (क) मतदान कक्ष की ओर जाएगा।
- (ख) मतपत्र में उस अभ्यर्थी के कोष्ठक में निशान के पास या सामने जिसे वह मत देना चाहता है इस हेतू जारी की गई मोहर से चिन्हित करेगा।
- (ग) मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मतपत्र का तह लगा देगा।
- (घ) तह लगाए हुए मतपत्रों को मतपेटी (मतपेटियों) में डाल देगा।
- (ङ.) मतदान केन्द्र से बाहर आ जाएगा।
- (च) प्रत्येक मतदाता को बिना कोई विलम्ब किए मतदान करना होगा।
- (छ) किसी भी मतदाता को तब तक मतदान कक्ष के अन्दर जाने की अनुमति नहीं होगी जब तक दूसरा मतदाता अन्दर हो।

## 14- Ekrnk u i fØ; k

ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के लिए निर्वाचन एक साथ करवाए जाएंगे प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो मतपेटियां एक पंचायत के सदस्य, उप-प्रधान तथा प्रधान के लिए व दूसरी पंचायत समिति व जिला परिषद, के सदस्य के लिए प्रयोग में लाई जाएंगी।

ज्यों ही मतदान अधिकारी-एक मतदाता को अमिट स्याही लगा देगा वह दूसरे मतदान अधिकारी के पास जाएगा। दूसरा मतदान अधिकारी उसे ग्राम पंचायत से सम्बन्धित तीन मतपत्र (पंचायत के सदस्य, उप-प्रधान तथा प्रधान) जारी करेगा। मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में पुरुष निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टी को रेखांकित करेगा और महिला निर्वाचन के मामले में उसके नाम के बाईं ओर छोटा सा चिन्ह  $\frac{1}{4}/\frac{1}{2}$  बना देगा। मतदाता मतदान कक्ष एक में जाएगा व मतपत्रों को अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के पक्ष में अंकित कर बाहर रखी मतपेटी संख्या एक में तीनों मतपत्रों को डाल देगा। तत्पश्चात्, वह तीसरे मतदान अधिकारी के पास जाएगा जो उसे पंचायत समिति व जिला परिषद, के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतपत्र जारी करेगा। मतदाता पुनः मतदान कक्ष दो में जाएगा व पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्य हेतु अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के पक्ष में मतपत्रों को अंकित करेगा व बाहर रखी मतपेटी संख्या 2 में दोनों मतपत्रों को डाल देगा।

## 15. i ksy M; Wh eri =

जो कर्मचारी उसी विकास खण्ड में मतदान ड्यूटी पर नियुक्त किए गये हैं, जिसके वह स्वयं मतदाता भी हैं, ऐसे कर्मचारी मतदान करने के हकदार होंगे। मतदान कर्मचारी, मतदान के दिन से सात दिन पूर्व, सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को प्रपत्र-28-क (i f j f' k"V&x) पर आवेदन करेंगे रिटर्निंग अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को पंचायती राज संस्थानों के विभिन्न पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु पांचो मतपत्र जारी करेगा। मतपत्र जारी करते समय रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मतदान कर्मचारियों को मतपत्र उन्ही बण्डलों में से जारी किए जायें जो कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के निर्वाचन हेतु नियुक्त पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर प्रयोग करेगा। वह जारी किए गये मतपत्रों की क्रम संख्या नोट करेगा तथा मतपत्र रजिस्टर में इसका रिकार्ड रखेगा।

प्रत्येक कर्मचारी को प्रपत्र-28-ख (i f j f' k"V&xI) पर दो घोषणा पत्र (एक ग्राम पंचायत के लिए और दूसरा पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए) तथा प्रारूप-28-ग (i f j f' k"V&xII) में पाँच छोटे लिफाफे (प्रत्येक मतपत्र के लिए एक) व दो बड़े लिफाफे प्रारूप-28-घ (i f j f' k"V&xIII) (एक लिफाफे में ग्राम पंचायत से सम्बन्धित तीन मतपत्र व दूसरे लिफाफे में पंचायती समिति व जिला परिषद के दो मतपत्र रखे जाएंगे) इसके अतिरिक्त मतदाता के मार्गदर्शन हेतु प्रारूप-28-ङ (i f j f' k"V&xIV) पर अनुदेश दिए जाएंगे।

पोल ड्यूटी मतपत्र से सम्बन्धित प्रावधान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 49-क से 49-च तक वर्णित किए गये हैं जो निम्नानुसार हैं:-

## iksy M; Wh eri =

49&d- मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों का मतदान हेतु हकदार होना.—इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को उनके द्वारा पूर्ण करने के अध्यक्षीन, निर्वाचक, जो उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ हैं, पंचायत के किसी निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होंगे।

49&[k- Ekrnku M; Wh ij vk: <+ernkrkvka }kjk l ipuk-&उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर कोई निर्वाचक, जो किसी निर्वाचन में मतदान करने का इच्छुक हो, उस पंचायत हेतु रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप-28क में इस प्रकार आवेदन करेगा ताकि वह, मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन या ऐसी कमतर अवधि, जैसी राज्य निर्वाचन आयोग अनुज्ञात करे, के भीतर उसके पास पहुंचे; और यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ एक निर्वाचक है, तो वह उसको ग्राम पंचायत के सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पोल ड्यूटी मतपत्रों को जारी करेगा।

49&x- Ekri= dk iz i-&उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों को जारी किए जाने वाले मतपत्र वैसे ही होंगे, जैसे संबंधित पंचायत के अन्य निर्वाचकों को जारी किए जाते हैं।

49&?k- eri= tkjh djuk-&(1) ग्राम पंचायत हेतु रिटर्निंग आफिसर द्वारा, ऐसे मतदाता को पोल ड्यूटी मतपत्र, निम्नलिखित सहित व्यक्तिगत रूप से, परिदत्त किए जाएंगे,—

(क) प्रारूप-28 ख में दो घोषणा प्रारूप (एक ग्राम पंचायत के लिए और दूसरा पंचायत समिति तथा जिला परिषद् हेतु)

(ख) प्रारूप 28-ग में पांच लिफाफे (प्रत्येक मतपत्र के लिए एक)

(ग) प्रारूप-28 घ में रिटर्निंग आफिसर को संबोधित दो बड़े लिफाफे (एक ग्राम पंचायत के लिए और अन्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद् हेतु) और

(ध) प्रारूप-28 में निर्वाचक के मार्गदर्शन हेतु अनुदेश

(4) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर, मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ समस्त मतदाताओं को मतपत्र जारी करने के पश्चात्, निर्वाचक नामावली की चिह्नकित प्रति को एक पैकेट में सीलबंद करेगा और पैकेट पर इसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन तथा इसे सीलबंद करने की तारीख को अभिलिखित करेगा।

(5) ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मतदान ड्यूटीपर आरूढ़ मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्रों के प्रतिपणों को भी, पृथक पैकेट में सीलबंद करेगा और पैकेट पर इसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन तथा इसे सीलबंद करने की तारीख को अभिलिखित करेगा।

49&3 er nuk@ok\ fjdkMZ djuk-&(1) कोई मतदाता, जिसने पोल ड्यूटी मतपत्र प्राप्त किया है और मत देना चाहता है वह, प्ररूप-28ड में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार मतपत्र पर अपना मत दर्ज (रिकार्ड) करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक मतपत्र को प्ररूप-28ग में पृथक लिफाफे में बंद करेगा।

(2) मतदाता, पंचायत के रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अधिकारी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए, की उपस्थिति में प्ररूप-28-ख में घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।

49&p- eri = dh oki | h-&¼1½ मतदाता अपना मत देने और नियम 49-ड के अधीन घोषणा हस्ताक्षरित करने के पश्चात् ग्राम पंचायत निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अधिकारी, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग इस निमित्त अधिसूचित करे, को ऐसे समय के भीतर जैसा नियत किया जाए तथा प्ररूप-28ड में उसे संसूचित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र और घोषणा को वापस करेगा।

(2) यदि रिटर्निंग आफिसर द्वारा पोल ड्यूटी मतपत्र से युक्त कोई लिफाफा, उप-नियम (1) में नियत समय के अवसान के पश्चात् प्राप्त किया जाता है तो वह उस पर उस की प्राप्ति की तारीख और समय अंकित करेगा और ऐसे समस्त लिफाफों को इक्ठ्ठा पृथक पैकेट में रखेगा।

(3) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर या ऐसा अधिकारी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए, यह सुनिश्चित करेगा कि उस द्वारा प्राप्त किए गए पोल ड्यूटी मतपत्र से युक्त समस्त लिफाफे—

- (क) ग्राम पंचायत के निर्वाचन की दशा में, सम्बद्ध ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन हेतु सहायक रिटर्निंग आफिसर को दे दिए गए हैं
- (ख) पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन की दशा में, सम्बद्ध पंचायत समिति निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर को मतों की गणना के समय दे दिए गए हैं और जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन की
- (ग) दशा में सम्बद्ध जिला परिषद् निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर को, मतों की गणना के समय दे दिए गए हैं।

## 16- I gh ernku ds fy, I ko/kkfu; ka

यदि आपके ध्यान में यह आता है कि निर्वाचक ने गलती से मतपत्र को पिछली तरफ से चिन्हित कर दिया है या आपको संदेह होता है कि निर्वाचक ने मतपत्र को चिन्हित ही नहीं किया है तो आप मतदाता से पूछ सकते हैं कि क्या उसने मतपत्र को सही ढंग से चिन्हित किया है यदि नहीं तो आप उसे पुनः मतदान कक्ष में जाकर मतपत्र को चिन्हित करने के लिए परामर्श दें। यदि निर्वाचक आपके पास गलत ढंग से तह किया हुआ या खुला मतपत्र ले कर आ जाए तो आपको मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए उसकी गलती में सुधार करना चाहिए। यह

भी सुनिश्चित करें कि निर्वाचक केवल उसी मतपेंटी में मतपत्र डाले जिस मतपेंटी विशेष में उसे मतपत्र डालना चाहिए।

#### 17- मतपत्र डालने के लिए मतपेंटी में मतपत्र डालना चाहिए

यदि आप संतुष्ट हों कि कोई निर्वाचक अन्धेपन के कारण या शारीरिक अक्षमता के कारण मतपत्र पर चुनाव चिन्ह को पहचान करने में असमर्थ है वह किसी की सहायता लिए बिना मतपत्र को चिन्हित नहीं कर सकता है तो आप उस निर्वाचक को अपने साथ मतदान कक्ष में एक साथी जो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ले जाने की अनुमति देंगे जो उस निर्वाचक की इच्छा अनुसार मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसे तह करके मतपेंटी में डाल देगा। आपको इस प्रकार के सभी निर्वाचकों का संक्षिप्त लेखा मतपत्र पर उनके द्वारा की गई घोषणा का लेखा मतपत्र पर दिए गए प्रपत्र पर रखना होगा। किसी भी व्यक्ति को एक दिन में एक निर्वाचक से अधिक का सहायक बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### 18- मतपत्र पर मतपत्र डालने के लिए मतपेंटी में मतपत्र डालना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति स्वयं को विशिष्ट निर्वाचक का प्रतिनिधित्व करते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति के पश्चात, जो ऐसे निर्वाचक के रूप में पहले ही मतदान कर चुका हो तो मतदान के लिए आता है तो इस मामले में आप अपनी संतुष्टि हेतु उसे कुछ ऐसे प्रश्न जिन्हें आप उसकी पहचान हेतु आवश्यक समझें, पूछेंगे, यदि आप उसकी पहचान से संतुष्ट हों तो उसे निविदित मत के रूप में मतदान की अनुमति देंगे। निविदित मत पत्र मतपेंटी में डालने की बजाए आपको सौंपा जाएगा। आप इसके लिए एक अलग पैकेट तैयार करेंगे और इसका लेखा मतपत्र-31 (परिशिष्ट-IX) पर रखा जाएगा।

यह प्रपत्र-ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान तथा उप प्रधान और पंचायत समिति व जिला परिषद, के सदस्य के लिए अलग-अलग तैयार किया जाएगा।

#### 19- मतदाता सूची में अधिकतर मतदाताओं की फोटो उपलब्ध होगी

मतदाता सूची में अधिकतर मतदाताओं की फोटो उपलब्ध होगी अतः मतदाताओं की पहचान करना कठिन नहीं होगा। यदि कुछ मतदाताओं का फोटो उपलब्ध न हो तो ऐसे मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान केन्द्र पर आप किसी भी व्यक्ति को अपनी सहायता हेतु नियुक्त कर सकते हैं। यदि कोई पहचान पत्र, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया हो और कोई निर्वाचक आपके समक्ष ऐसा पहचान पत्र प्रस्तुत करे तो वह पंचायत निर्वाचन के दौरान विधिमान्य प्रमाण होगा। मतदाता अपनी पहचान हेतु मद संख्या 20 में वर्णित कोई भी अभिलेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

यदि आप किसी मतदाता के पहचान से आश्वस्त हों तो मतदाता सूची की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने के उपरान्त भी इसकी अनदेखी की जाएगी। आशा की जाती है कि मतदान अभिकर्ता मृत तथा अनुपस्थित मतदाताओं की सूची अपने साथ लाएंगे। अभ्यर्थी या उसका मतदान अभिकर्ता आपको भी ऐसी सूची उपलब्ध करवा सकता है। यदि कोई व्यक्ति

जिसका नाम इस सूची में हो तथा वह निर्वाचक होने का दावा करे तो आप उस व्यक्ति की पहचान सावधानी से करेंगे।

## 20- प्रक्रिया

कोई भी अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता किसी व्यक्ति की एक निर्वाचक के रूप में पहचान को पहले 200/- रुपये नकद जमा करके चुनौती दे सकेगा। राशी के जमा होने पर आपकी पहली कार्रवाई होगी :-

- (क) चुनौती दिए गए व्यक्ति को प्रतिरूपण के लिए चेतावनी देगा ;
- (ख) निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि को पढ़ेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या वह प्रविष्टि में वर्णित व्यक्ति है;
- (ग) प्ररूप-30 में चुनौती दिए गए मतों की सूची में उसका नाम और पते की प्रविष्टि करेंगे और
- (घ) उससे उक्त सूची पर हस्ताक्षर करवाएंगे

तत्पश्चात, आप चुनौती की तुरन्त संक्षिप्त जांच करेंगे और इस उद्देश्य हेतु:-

- (क) चुनौती देने वाले से चुनौती के सबूत में साक्ष्य देने और चुनौती दिए गए व्यक्ति से उसकी पहचान के सबूत में साक्ष्य मांगेंगे
- (ख) चुनौती दिए गए व्यक्ति से उसकी पहचान को सिद्ध करने के प्रयोजन से आवश्यक कोई प्रश्न पूछें और उससे सशपथ उत्तर मांगें; और
- (ग) चुनौती दिए गए व्यक्ति को ओर साक्ष्य देने के लिए पेश होने वाले अन्य व्यक्ति को शपथ दिलाएंगे ।

ऐसी जांच के लिए निम्नलिखित अभिलेख, यदि इनका खण्डन सिद्ध न हो तो, वैध माने जाएंगे:-

1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेन्स
3. आयकर पहचान पत्र
4. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी तथा अर्ध सरकारी उपक्रम/स्थानीय निकायों तथा किसी भी प्राइवेट औद्योगिक सस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र।

5. बैंक/किसान/डाकघर पास बुक
6. राशन कार्ड
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र
8. छात्र पहचान पत्र
9. सम्पति सम्बन्धी कागजात जैसे पट्टा, पंजीबद्ध अभिलेख
10. शस्त्र लाईसेन्स
11. परिवहन अधिकारी द्वारा जारी कन्डक्टर लाईसेंस
12. पेंशन अभिलेख जैसे भू0पू0 सैनिक पेंशन बुक/पी0पी0ओ0
13. भू0पू0 सैनिक की विधवा/आश्रित को जारी प्रमाण पत्र
14. रेलवे/बस पास
15. अक्षम प्रमाण पत्र
16. स्वतंत्रता सैनानी प्रमाण पत्र
17. आधार कार्ड

जांच के पश्चात, यदि आप समझते हैं कि चुनौती सिद्ध नहीं हुई तो आप उसे मतदान करने की अनुमति दे सकते हैं और यदि यह समझें कि चुनौती सिद्ध हो चुकी है तो उसे मतदान से वर्जित कर दिया जाएगा। पहली स्थिति में जमा राशि जब्त कर ली जाएगी अन्यथा जांच के बाद राशि जमाकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

21- [kjkc vk] oki | fd, x, eri =

यदि कोई निर्वाचक मतपत्र से अनजाने में इस प्रकार व्यवहार करता है कि इस मतपत्र के रूप में सुविधा से प्रयोग में न लाया जा सकता हो तो वह मतपत्र आप मतदाता से वापिस ले लेंगे और उसके अनजानेपन से संतुष्ट होने पर उसे दूसरा मतपत्र दिया जाएगा। वापस किए गए मतपत्र व इसके प्रतिपर्ण पर खराब, रद्द चिन्हित किया जाएगा और इसे अलग लिफाफे में रखा जाएगा। यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के बाद यह निश्चय करता है कि वह इसका उपयोग नहीं करेगा और वह इसे आपको वापस कर देता है तो आप मतपत्र पर "वापस-रद्द" चिन्हित करेंगे और उसे अलग पैकेट में रखा जाएगा। मतदान समाप्त होने पर इन पैकेटों को भी अन्य पैकेटों के साथ सील बन्द कर दिया जाएगा।

## 22- ernku dk l eki u

आप उस समय मतदान को बन्द करेंगे जो समय मतदान समापन के लिए निर्धारित होगा और उसके बाद आप किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। यद्यपि मतदान केन्द्र में इसके बन्द होने से पूर्व उपस्थित सभी निर्वाचकों को अपने मत डालने की अनुमति होगी यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या निर्वाचक मतदान केन्द्र में इसके बन्द होने से पूर्व उपस्थित था तो इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा। किसी व्यक्ति के मतदान का समय समाप्त होने पर मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने या न होने के विवाद से बचने के लिए उचित होगा कि आप मतदान बन्द होने के समय पर मतदान करने के लिए पंक्ति में खड़े अन्तिम व्यक्ति से शुरू कर अपने हस्ताक्षर की हुई पर्चियों जारी कर दें। ऐसे मतदाताओं को मतदान अधिकारी-1 उक्त पर्ची दिखाने पर मतदान की अनुमति दे देगा।

## 23. ernku ds ckn eri fV; ks dks l hy cUn djuk

मतदान बन्द होने के तुरन्त बाद आप अपनी मोहरो के साथ मतपेटी को सील बन्द व सुरक्षित करेंगे। मतपेटी अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बन्द की जाएगी और यदि वे चाहें तो उन्हें अपनी सील लगाने की भी अनुमति दी जाएगी।

## 24- eri =ka dks l hy cUn djuk

मतदान के बन्द होने पर आप प्ररूप-29 (परिशिष्ट-VIII) पर मतपत्र का लेखा तैयार करेंगे और इसे अलग लिफाफे में बन्द करेंगे तथा उस पर "मतपत्र लेखा" लिखेंगे। यथास्थिति ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान, उप-प्रधान तथा पंचायत समिति व जिला परिषद, के सदस्य के निर्वाचन के लिए मतपत्रों का अलग-अलग लेखा तैयार किया जाएगा।

## 25- vU; i fVka dks l hy cUn djuk

मतदान समाप्ति पर निम्नलिखित पैकेटों को तैयार किया जाएगा व अलग-अलग बन्द किया जाएगा।

- (क) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति;
- (ख) निर्वाचक नामावली की अन्य प्रति;
- (ग) प्रयोग किए गए मतपत्रों के प्रतिपुर्ण;
- (घ) अप्रयुक्त मतपत्र;
- (ङ) रद्द किए गए मतपत्र;
- (च) निविदत मतपत्रों का लिफाफा और निविदत मतपत्रों की सूची; और

(छ) चुनौती पूर्ण मतों की सूची तथा

(ज) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्देशित अन्य पत्रों को सील बन्द पैकेट में रखना

सदस्य, उप-प्रधान, प्रधान और पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के सदस्यों के लिए अलग-अलग पैकेट तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक पैकेट पीठासीन अधिकारी की मोहर से सील बन्द किया जाएगा। उपरोक्त प्रत्येक पैकेट पीठासीन अधिकारियों की सील और उपस्थित अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता की सीलों से यदि वे ऐसा चाहें तो सील बन्द कर दिया जाएगा।

26- i hBkl hu vf/kdkjh dh Mk; jh

निर्वाचन के समापन पर व मतपेटियों को सील बन्द करने के बाद आप i f j f ' k " V & IV पर दी गई डायरी लिखेंगे। समय बचाने के लिए आप मतदान के दौरान भी डायरी में वांछित कुछ सूचनाओं को भर सकते हैं।

27- eri fV; ka o vU; vfHkys[ kka dh x.kuk LFky ij <gykbZ

ज्यों ही प्रयोग की हुई मतपेटियां तथा पैकेट तैयार हो जाते हैं आप उन्हें थैलो/बोरों में डाल कर गणना स्थल के लिए या ऐसे स्थान के लिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बताया गया हो पर उनकी ढुलाई के लिए तुरन्त प्रबन्ध करेंगे। यदि मतपत्रों वाली मतपेटी/मतपेटियों की ढुलाई मतदान वाले स्थान से किसी अन्य स्थान पर की जानी हो तो आपको उनकी पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। ढुलाई अक्षरशः गमनागमन कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। मतपेटियों वाले थैले/बोरी तथा सामग्री रस्सी बांधने के बाद आपको उपलब्ध करवाई गई पीठासीन अधिकारी की मोहर से ठीक प्रकार से सील बन्द किए जाएंगे। आप निम्न सामान को रिटर्निंग अधिकारी या किसी प्राधिकृत अधिकारी को रसीद प्राप्त करके वापिस सौंपेंगे :-

(क) मतपेटियां;

(ख) कागज की सील का लेखा, यदि कोई हो;

(ग) पैरा-25 में बताए गए पैकेट और

(घ) समस्त कागजात/सामग्री जो निर्वाचन में प्रयुक्त/अप्रयुक्त की गई हो

28- vki krdky ea ernku dk LFkxu

यदि मतदान केन्द्र पर कोई दंगा, खुली हिंसा का कोई प्रयास या किसी प्राकृतिक विपत्ति आदि के कारण मतदान करवाना सम्भव नहीं होता है तो आप मतदान स्थगित कर देंगे और इसकी सूचना पर्याप्त साक्ष्य के साथ किसी द्रुत साधन द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को देंगे।

## 29- i p k j i j i f r c l / k

मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के भीतर अथवा किसी सरकारी अथवा निजी स्थान या मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:-

- (क) मत प्राप्ति हेतु प्रचार नहीं करेगा या
- (ख) किसी मतदाता से वोट नहीं मांगेगा या
- (ग) किसी मतदाता को किसी विशेष अभ्यर्थी के लिए मतदान न करने के लिए नहीं कहेगा या
- (घ) किसी मतदाता को निर्वाचन में मत न देने के लिए नहीं कहेगा या
- (ङ) किसी नोटिस या चिन्ह (शासकीय नोटिस को छोड़ कर) प्रदर्शन नहीं करेगा

यदि कोई व्यक्ति मतदान केंद्र पर उपरोक्त कृत्य करते हुए पाया जाता है तो उसे चतुराई से समझाएं तथा ऐसा कृत्य करने के परिणामों से अवगत करवाए ताकि वह ऐसा न करें। फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य को जारी रखता है तथा आपके आदेशों की अवेहलना करता है तो आप मतदान केंद्र पर नियुक्त पुलिस कर्मचारी की मदद ले सकते हैं तथा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निर्वाचन अपराध की कार्रवाई की जा सकती है।

## 30- v k o ' ; d f u " i { k r k

शान्ति भंग होने की स्थिति में आपकी निपुणता, ईमानदारी तथा निष्पक्षता अति आवश्यक होगी। सभी दलों व अभ्यर्थियों से बराबर का व्यवहार करें और प्रत्येक विवाद ग्रस्त मामले पर ईमानदारी व न्यायपूर्वक विनिश्चय करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मतदान केंद्र पर न तो आप और न ही कोई अधिकारी ऐसा कार्य करेगा जिसे निर्वाचन में किसी दूसरे अभ्यर्थी के पक्ष में किए गए कार्य के रूप में व्याख्या की जा सके।

## 31- f u o k p u d f e z k a d h i f r f u ; ( D r v k j d r D ) ; d s f u o k g u e a y k i j o k g h i j n.M

मतदान ड्यूटी पर नियुक्त समस्त कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग के अर्न्तगत प्रतिनियुक्ति पर होंगे तथा इस अवधि के दौरान वह आयोग के नियन्त्रण, अधीक्षण व अनुशासन के अधीन होंगे। निर्वाचन सम्बन्धी कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी तरह की लापरवाही या आदेशों की अवेहलना कि स्थिति में उन्हें नियमानुसार दण्डित किया जा सकता है। मतदान की गोपनीयता बनाए रखना उनका परम कर्तव्य है। इन विषयों पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 158- ड., 158-च, 158-ड व आपकी जानकारी हेतु यहाँ उद्धृत किए जा रहे हैं:-

158-ड. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना.- (1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति से निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से

संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

158-च. निर्वाचन में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे.—(1) कोई भी व्यक्ति, जो कोई जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबन्ध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

2. यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य—

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए, मनाने का और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति में असर डालने का प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उप-धारा(3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञय होगा।

158-ड निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शासित—यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा तो यह कारावास से, जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

158-क-वु; विज/क वक/ मुदस फ, "कक/लरक; क/क/1/2 ; फन फदल ह फुक/पु ए  
दक/ल 0; फडर/

(क) कोई नामनिर्देशन-पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(ख) रिटर्निंग आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन न लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा; अथवा

- (ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिन्ह या अन्नयता की किसी धोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक-मतपत्र द्वारा मत देने के सम्बन्ध में उपयोग में लाया गया है कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा
- (घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा ; अथवा
- (ङ.) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा
- (च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा,खोलेगा य अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा
- (छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

1/2 1/2 bl /kkjk ds v/khu fuokpu vij/k dk nk'skh dkbz 0; fDr&&

- (क) यदि वह रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन आफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य आफिसर या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा; और
- (ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित है।

(4) उप-धारा (2) के अधीन अपराध संज्ञेय होगा।

fuokpu | Ecl/kh fookn

160&<sup>3</sup>- depkfojn dh i frfu; fDr vk\$ 'kkl dh; dUkD; ds Hkx ij n.M

(1) राज्य सरकार, सरकारी या राज्य सरकार के अर्ध-सरकारी संगठनों से पंचायत निकायों के सभी निर्वाचन का संचालन करने के लिए कर्मचारीवृन्द प्रतिनियुक्त करेगी ओर

निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार तथा सभी निर्वाचनों के संचालन में नियोजित अधिकारी या कर्मचारीवृन्द उस अवधि के लिए जिसके दौरान वे इस प्रकार नियोजित किए जाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के पास प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारीवृन्द, उस अवधि के दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग के नियन्त्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

(2) यदि उक्त उप-धारा (1) के अधीन निर्वाचन ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त कोई व्यक्ति निर्वाचन ड्यूटी के पालन से सम्बन्धित इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन का संचालन करने के लिए नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा करता है या जानबूझकर कर्तव्य से विमुख होता है अथवा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अल्लंघन करता है, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपय तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।}

## i f j f ' k " V & 1

Ekrnku ny ds fy; s rhu pj .kka ds fy, I kexh dh I pph

1. मत पेटियां	4
2. पैन्सिल	2
3. स्याही युक्त स्टैम्प पैड dkyk o uhyk	2
4. बाल पेन	3
5. पीठासीन अधिकारी की मोहर	1
6. मत पत्र को चिन्हित करने के लिए रबड़ मोहर	2
7. सुभेधक चिन्ह मोहर (रबबर)	1
8. फाईबर के मतदान कक्ष	1
9. अमिट स्याही	3 (5 सी.सी.)
10. ब्लेड	1
11. मत पत्रों को अलग करने के लिये धातु की पट्टी	1
12. सुआ	1
13. पिन	1 छोटा पैकेट
14. अमिट स्याही को रखने के लिये कप	1
15. नोटा चिन्ह मोहर (रबबर)	1
16. मत पत्रों को मतपेटी में डालने लिये धातु का पुशर	1

ernku d{k ds fy; s fuokpu I kexh

17. धागा	1 बंडल
18. सीलिंग वैक्स	6 बतियां
19. गोंद	1 छोटी शीशी
20. माचिस	1
21. मतपत्रों के बन्धे हुए पैकेट	आवश्यकता अनुसार
22. कार्ड बोर्ड के टुकड़े	12
23. उन मतदान क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली की प्रतियां जंहा नियुक्त किया गया है।	3 प्रतियां
24. मत पेटियों के लिये लेबल	12
25. मोमबतियां	2
26. लचकदार तार	6 पीस
27. कैनबैस बैग	4
28. अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने हेतु लिफाफे	15(एस.ई.7)
29. प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण रखने हेतु लिफाफे	15(एस.ई.6)
30. निविदत मतपत्र के लिये लिफाफे तथा निविदत मतपत्रों की सूची	3(एस.ई.4)
31. वापस व रदद किये गये मतपत्र रखने के लिए लिफाफे	3(एस.ई. 4)

32. निविदत मतों की सूची का प्रपत्र	12
33. निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र रखने के लिये लिफाफे	15(एस.ई.7)
34. मतदान लेखा रखने के लिये लिफाफे	18(एस.ई.4)
35. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रतियां रखने के लिए लिफाफे	3(एस.ई. 7)
36. चुनौती वाले मतपत्र रखने के लिये लिफाफे	3(एस.ई. 4)
37. निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियां को रखने के लिये लिफाफे	6(एस.ई. 7)
38. पीठासीन अधिकारी की डायरी रखने के लिये लिफाफे	3 (एस.ई. 7)
39. लिफाफे (कपडे के)	6 (एस.ई. 8)
40. विभिन्न प्रकार का रिकार्ड रखने के लिए लिफाफे	3(एस.ई. 4)
41. अंधे तथा विकलांग मतदाता के साथी द्वारा की गई धोषणा को रखने के लिये लिफाफे	3 (एस. ई. 4)
42. चुनौती दिये गये मतों की सूची का प्रपत्र	6
43. प्रेषित टैग	6
44. पीठासीन अधिकारी की डायरी	3
45. मतपत्र लेखा का प्रपत्र	50
46. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए प्रपत्र	100
47. रसीद बुक	1

fV. i .kh%अन्य कोई भी आवश्यक वस्तु जो पहले जारी न की गई हो परन्तु बाद में आपातकालीन आवश्यकता पडने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गई अग्रिम राशि में से स्थानीय बाजार से खरीद ली जाये ।

## निर्वाचक सूची

निर्वाचक क्षेत्र का नाम

ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद, ..... के  
..... (निर्वाचक क्षेत्र) के लिये निर्वाचन।

मतदान केन्द्र / मतदान कक्ष का नाम व संख्या.....

मतदान की क्रम संख्या	मतदाता का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम	साथी का पता	साथी के हस्ताक्षर
-------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-------------------

दिनांक :

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर।

## ijf'k"V-III

vU/ks rFkk f'kffkykax 0; fDr ds I kFkh }kjk Äk'sk.kk

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद,.....के लिए  
.....निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन।

मैं .....पुत्र श्री.....आयु.....  
निवासी..... घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मैंने आज दिनांक.....को किसी भी अन्य मतदाता के साथ  
साथी के रूप में कार्य नहीं किया है तथा

(ख) मैं श्री.....की और से डाले गये मत की गोपनीयता बनाये  
रखूंगा।

दिनांक :

साथी के हस्ताक्षर।

# i f j f' k"V&IV

i hBkl hu vf/kdjh dh Mk; jh

सदस्य/उप-प्रधान/प्रधान ग्राम पंचायत/सदस्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद, के निर्वाचन के सम्बन्ध में।

पंचायत .....वार्ड संख्या.....विकास खण्ड.....  
तहसील ..... जिला.....हिमाचल प्रदेश।

1. मतदान का दिनांक.....
2. मतदान केन्द्र की क्रम संख्या.....
3. मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में स्थित है :                      सरकारी/अर्द्धसरकारी/  
निजी/अस्थायी निर्माण
4. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के आदेश के अन्तर्गत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता (यदि कोई हो) और नियुक्ति का कारण
5. प्रयुक्त की गई मतपेटियों की संख्या.....
6. अभ्यर्थी और निर्वाचन अभिकर्ताओं के नाम जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो
7. निर्वाचन क्षेत्र के लिये जारी किये गये मतपत्रों की संख्या:-  
(प्रत्येक कार्यलय)के अलग-अलग)  
सदस्य ग्राम पंचायत                      क्रम सं..... से ..... कुल.....  
उप-प्रधान                                      क्रम सं..... से ..... कुल.....  
प्रधान    क्रम सं..... से ..... कुल.....  
पंचायत समिति सदस्य                      क्रम सं..... से ..... कुल.....  
जिला परिषद् सदस्य                              क्रम सं..... से ..... कुल.....
8. रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या.....
9. मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या :    पुरुष                      महिला                      योग
10. चुनौती किये गये मत                                      स्वीकृत संख्या                      रद्द
11. उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने साथी की मदद से मतदान किया
12. निविदत मतों की कुल संख्या
13. डाले गये मतों की संख्या :  
.....पूर्वाह्न से .....पूर्वाह्न तक  
.....पूर्वाह्न से .....पूर्वाह्न तक

- .....दोपहर से.....अपराहन तक  
.....अपराहन से .....अपराहन तक
14. क्या मतदान को दंगा खुली हिंसा या प्राकृतिक विपत्ति के कारण रूकावट/या व्यवधान उत्पन्न होने पर रदद किया जाना आवश्यकता था ? (पूरा विवरण दें)
15. क्या मतदान को निम्न भ्रष्ट कार्यवाही से दूषित तो नहीं किया गया : –
- (क) मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गई मतपेटी को पीठासीन अधिकारी के संरक्षण से नियमों के विरुद्ध छीन लिया गया हो;
- (ख) दुर्घटना या जानबूझ कर नष्ट कर दी गई हो या गुम हो गई हो;
- (ग) हानि पहुंचाई गई हो या बिगाडा गया हो;
- (घ) किसी व्यक्ति द्वारा नियमों के विरुद्ध मतपत्रों को चिन्हित करके मतपेटी में डाल दिया गया हो ;  
(कृपया ऐसे सभी कृत्यों का विस्तृत ब्यौरा दें)
16. अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा यदि कोई गम्भीर शिकायत की गई हो;
17. कानून व्यवस्था का अतिक्रमण करने वाले मामलो की संख्या :
18. मतदान केन्द्र/मतदान केन्द्र पर यदि कोई गलती अथवा अनियमितता बरती गई हो तो उनकी रिपोर्ट ;
19. अन्य घटनाएं यदि कोई घटित हुई हो;

स्थान :

दिनांक :

पीठासीन अधिकारी ।

i f j f ' k " V & v  
i s j l h y d k y s [ k k  
H k k x & 1

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के निर्वाचन मे प्रयुक्त की गई पेपर सील का लेखा

वार्ड का नाम.....	संख्या.....	
प्रयुक्त की गई मतपेटी की संख्या	प्रयुक्त की गई पेपर सील की क्रम संख्या	टिप्पणी

1.

2.

H k k x & 2

- 1- जारी की गई सील की क्रम संख्या.....से .....तक
2. कुल जारी पेपर सील.....
3. प्रयोग की गई पेपर संख्या.....
4. अप्रयुक्त पेपर सील की संख्या जो रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गई (क्र.सं. 3 को 2 से घटाने पर)
5. क्षतिग्रस्त पेपर सील की क्रम संख्या, यदि कोई हो.....

दिनांक.....

स्थान.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर।

i f j f' k" V & VI

vH; fFkZ; ka dh I uph

ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद्.....के लिए.....निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन ।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आबंटित प्रतीक
1	2	3	4

तरीख.....

स्थान.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर ।

परिशिष्ट-VII

फुक्पु व्फह्कद्रक़् द्द ह् फु; ढ्

मैं.....ग्राम पंचायत.....खण्ड.....से सदस्य  
के निर्वाचन के लिए।

ग्राम पंचायत.....खण्ड.....के उप-प्रधान/प्रधान के निर्वाचन के लिए पंचायत  
समिति.....

के निर्वाचन क्षेत्र.....से पंचायत समिति के सदस्य के लिए जिला परिषद्.....  
के निर्वाचन क्षेत्र सं०.....

में होने वाले उक्त निर्वाचन के एतद्द्वारा श्री.....को सं०.....पर.....  
.....जो निर्वाचन के लिए नियत है निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूं।

तरीख.....  
स्थान.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर।

तरीख.....  
स्थान.....

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर।

अनुमोदित

तरीख.....  
स्थान.....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर।

i f j f ' k " V & VIII  
Ekri = y s [ k k

- ग्राम पंचायत.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन  
 ग्राम पंचायत.....के उप-प्रधान/प्रधान का निर्वाचन  
 पंचायत समिति.....के .....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यों का निर्वाचन  
 जिला परिषद् .....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन  
 मतदान केन्द्र .....

- |    |  | क्रम संख्या | कुल संख्या |
|----|--|-------------|------------|
| 1. | मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए मतपत्र | .....       | .....      |
| 2. | अप्रयुक्त मतपत्रों की संख्या                                   | .....       | .....      |
| 3. | प्रयुक्त मत पत्र (1-2=3)                                       |             |            |

4.	प्रयुक्त मत पत्रों की संख्या परन्तु मतपेटी में अन्तस्थापित नहीं (क) रद्द किए मतपत्रों की संख्या (ख) निविदत्त पत्रों के लिए प्रयुक्त मतपत्र (ग) मुद्रण/लिखित गलती के लिए रद्द किए मत-पत्रों की संख्या? क + ख + ग	..... ..... .....	..... ..... .....
5.	मत पेटी में मत पत्रों की संख्या (3-4=5)		

तारीख.....  
 स्थान.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर।

**निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन**  
**उप-प्रधान/प्रधान का निर्वाचन**

ग्राम पंचायत.....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन  
 ग्राम पंचायत.....के उप-प्रधान/प्रधान का निर्वाचन  
 पंचायत समिति.....के .....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यों का निर्वाचन  
 जिला परिषद् .....के.....निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य का निर्वाचन  
 मतदान केन्द्र .....

क्रम संख्या	मतदान का नाम	निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में क्रम संख्या	ग्राम का नाम जिससे मतदाता सूची संबद्ध है	निविदत्त मतपत्रों की क्रम संख्या	उस व्यक्ति को जारी किए गए मत पत्र की क्रम सं० जिसमें पहले ही मतदान कर दिया हो	मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगुठा निशान
----------------	-----------------	--	--	---	---	---

---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

---

तारीख.....  
 स्थान.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर।

i f j f ' k " V & X  
i z l k & 28 d  
[ f u ; e 4 9 & [ k n s [ k  
f j V f u x v k f Q l j d k s l p u k d k i =

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,  
पंचायत.....  
विकास खण्ड.....  
जिला.....  
(हिमाचल प्रदेश)।

श्रीमान,

मैं उसी खण्ड (ब्लाक) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ एक मतदाता हूँ और मेरा नाम  
ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला परिषद्.....के वार्ड संख्या.....  
के लिए निर्वाचिक नामावली के .....क्रम संख्या .....पर प्रविष्ट (दर्ज) है। मैं उक्त  
पंचायतों के आगामी निर्वाचनों (चुनावों) में ग्राम पंचायत.....के वार्ड संख्या.....से  
अपना मत डालने हेतु आशयित हूँ।

भवदीय,

स्थान.....  
तारीख.....

i f j f ' k " V - X I  
i k : l k & 2 8 [ k

if u ; e 4 9 & ? k 1 / 2 d 1 / 4 4 9 & 3 1 / 2 v k j 7 3 & d 1 / 3 1 / 2 , o a 1 / 6 1 / 2 n s [ k a

E k r n k r k } k j k ? k k ' k . k k

.....के लिए निर्वाचन (इस तरफ (स्थान) का प्रयोग केवल तभी किया जाना है जब मतदाता घोषणा पर स्वयं हस्ताक्षर करता है) मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं ही वह मतदाता हूँ जिसे उपर्युक्त निर्वाचन में क्रम संख्या .....वाला पोल ड्यूटी मतपत्र जारी किया गया है।

मतदाता के हस्ताक्षर।

तारीख.....

पता.....

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

.....मतदाता द्वारा उपर्युक्त घोषणा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित की गई है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ/जिसकी.....  
.....(पहचानकर्ता) जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ द्वारा मेरे समाधान हेतु पहचान करवाई गई है।

अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर।

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर, यदि कोई हो.....

पदनाम.....

पता.....

तारीख.....

i f j f ' k " V & X I I  
i z l k & 2 8 x  
[ f u ; e 4 9 & ? k 1 / 2 1 / 2 [ k 1 / 2 v k j 7 3 & d 1 / 5 1 / 2 , o a 1 / 6 1 / 2 n s [ k s  
1 / 4 N k s / k f y Q k Q k )  
1 / 4 d o y , d e r i = M k y )

d

- x . k u k l s i w z f y Q k Q k [ k s y k u t k ,

- .....निर्वाचन क्षेत्र से.....का  
निर्वाचन (पंचायत के पद का नाम जिसके लिए निर्वाचन होना  
या किया जाना है)

पोल ड्यूटी मतपत्र

मतपत्र की क्रम संख्या.....

परिशिष्ट-XIII  
(कमक फुक्कुक)

[क

फुकुपुकरुकर

इसके लिए (पंचायत के पद का नाम जिसके लिए निर्वाचन किया जाना है) का निर्वाचन।

कुक लसिउल फुक्कुक [कुकुतु,

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर

•.....

.....निर्वाचन क्षेत्र से .....  
के लिए (पंचायत के पद का नाम जिसके लिए निर्वाचन किया जाना है) का निर्वाचन।

प्रेषक के हस्ताक्षर .....

i f j f ' k " V & X I V  
i z l k & 2 8 3  
[ f u ; e 4 9 & 3 1 / 2 1 / 2 v k j 4 9 & N 1 / 2 n s [ k  
E k r n k r k v k a d h t k u d k j h d s f y , f u n j k  
1 / 2 i p k ; r k a d s f u o k i p u e a m i ; k x f d , t k , 1 / 2

.....से.....के लिए •निर्वाचन।

व्यक्ति, जिनके नाम एतद् द्वारा भेजे गए मतपत्र पर मुद्रित किए गए हैं, उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। आप अपना मत, उस अभ्यर्थी, जिसे आप मत देना चाहते हैं, के नाम के विरुद्ध स्पष्टतः एक चिन्ह लगाकर, अभिलिखित (रिकार्ड) करें।

चिन्ह ऐसे लगाया जाना चाहिए ताकि वह व्यक्ति, जिसे आप अपना मत दे रहे हैं स्पष्टतया और संदेह से परे इंगित हो सके। यदि लगाया गया ऐसा चिन्ह संदेहास्पद लगता है कि किस व्यक्ति को आपने अपना मत दिया है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है। कृपया याद रखें कि आपके पास केवल एक मत है। तदनुसार आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मतदान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित (रिकार्ड) करने के लिए अपेक्षित चिन्ह के सिवाय, अपने हस्ताक्षर नहीं करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिन्ह चिह्नित न करें अथवा जहां कहीं भी हस्ताक्षर या लेखन न करें।

मतपत्र पर अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात्, मतपत्र को एतद्द्वारा भेजे गए 'क' '।' चिह्नित छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफा बंद कर दें और इसे मोहर बंद या अन्यथा से सुरक्षित करें।

तब आप प्ररूप-28ख में घोषणा को हस्ताक्षरित करें।

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित होने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो जाने के पश्चात्, प्ररूप-28घ में दी गई घोषणा और मतपत्र युक्त 'क' '।' चिह्नित छोटे लिफाफे को भी 'ख' 'ठ' चिह्नित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् इसे रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त व्यक्तिगत तौर पर प्राधिकृत किसी अधिकारी को सौंप दें। 'ख' 'ठ' चिह्नित लिफाफे पर दिए गए स्थान पर आपको अपने पूरे हस्ताक्षर करने होंगे।

• निर्वाचन के समुचित विशिष्टियों को यहां पर अन्तःस्थापित किया जाना है।

आप यह अवश्य सुनिश्चित करें कि लिफाफा,.....को• .....से• पहले रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त किसी अधिकारी को दे दिया गया है। कृपया नोट करें कि—

- (i) यदि आप उपर्युक्त इंगित रीति में अपनी घोषणा को अनुप्रमाणित या प्रमाणित करवाने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा; और
- (ii) यदि लिफाफा,.....को .....के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास पहुंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी.....(यहां मतों की गणना के आरम्भ होने के लिए नियत घण्टे और तारीख को विनिर्दिष्ट करें )।